

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (रा.उ.)

मुकदमा संख्या 310/2022,  
अनवरत राजस्थान सरकार जारिचे तहसीलदार पचपदरा बनावत ग्राम पंचायत खनोडा वगैरा

—आदेश—

दिनांक 06.9.2022

श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांक.प.120(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर मिटेदन किया है कि राजस्व ग्राम खनोडा पटवार मण्डल खनोडा तहसील पचपदरा की जमाबंदी सन् 2076-2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि सरकारी खातों में दर्ज है। लेकिन मौके पर कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा अनुसंधान किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक.प.3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक.प.3(2)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व ग्राम खनोडा पटवार मण्डल खनोडा तहसील सिणधरी की निम्नांकित सरकारी खाते भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार पचपदरा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		
					रकबा (हेक्ट.)	किस्म	वि.वि.
1	बिला कब्जा मुमकिन भूमि समर्पण	293/87	5-12	बा.सो.	5-12	गे.मु.रास्ता	प्रस्तावित नक्शों में दर्शित अनुसार तरमीम
2	बिला कब्जा मुमकिन भूमि समर्पण	296/91	2-00	बा.सो.	2-00	गे.मु.रास्ता	
3	बिला कब्जा मुमकिन भूमि समर्पण	249/92	1-04	बा.सो.	1-04	गे.मु.रास्ता	

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा  
(6.9.22) बालोतरा

